

(3)

नम्बर रसीद संख्या 45

28708

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम दृष्टिकोण कानूनी व्यापार में जारी रखने की फीस ..
2. लेख्य-पत्र की किस्म विवरण फीस जो प्राप्त हुई ..
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई ..
4. प्रतिफल की रकम मीठा भूत्याक्षर रुपये पैसे

क. फीस रजिस्ट्री :

- (1) साधारण फीस रजिस्ट्री 420 रुपये ..
- (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस ..
- (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस ..

ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस

57 रु

ग. विविध फीस :

- (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस ..
- (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस ..
- (3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस
- (4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता ..
- (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस 420 .. 100 रु
- (6) संरक्षण फीस
- (7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस .. 8 रु
- (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस ..
- (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की विक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है) ..

योग फीस

175 रु

दृष्टिकोणीय फीस 570 रु

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख

रजिस्ट्री करने वाले अफसरों के हस्ताक्षर
तालसोट (दौरा)

26/07



कार्यालय नगरपालिका ।

लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिये भूमि पट्टा-विलेख राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 से के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु यह, इकरार नामा जो आज दिनांक 21.2.2007 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात सरकार कहकर सम्बोधित किया गया है और दूसरी और श्री ।

श्रीमती सतपाल मीना, राजपाल मीना
पुत्र/पति श्री लूज मोदन मीना जाति मीना
व्यवसाय निवासी लोनान्दा लालसोट

(जिनको इसके पश्चात पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रूपये 5420/- अक्षरे पाँच हजार चार सौ बीस रुपये

रूपये.....पैसे मात्र की रकम के नियम शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और उसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार उसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटन करती है जोगृह निर्माण सहकारी समिति की 3000/-

योजना में स्थित है / खातेदार द्वारा विक्रय किये गये भूखण्ड स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपये वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्से में दिखलाया गया है और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंध स्वत्वो सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैधशर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात्:-

- उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज हॉल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी।
- (अ) पट्टेदार नगरपालिका लालसोट के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड से संबंध में आधारीत दर 10/- पैरा प्रति रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कूल राशि 5420/- रूपये की 2.5% की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करवायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय व्याज राशि वसूल की जावेगी।

(ब) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एक मुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5(2) न.वि.वि. /3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि 300/- रु की 2.5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।

- शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात तथा प्रत्येक हस्तांतरण पर 25% उत्तरोत्तर वृद्धि होगी 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जावेगी।

4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकमें या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय माल गुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।

5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का व्यवसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किसी भौति भी नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दि. 10.7.99 क्रमांक प- 5 (3) न.वि.वि. /3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है नियमन अयोग्य निर्माण के संबंध में संबंधित विनियमों के अनसार कार्यवाही की जावेगी।

6. नगरपालिका के बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जाना होगा इसके लिये भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

7. इस जीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयुल बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था / एच.डी.एफ. सी . अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिये गिरवी रखा जा सकेगा

8. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने 'रे क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।
 9. पटेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन को या दोनों किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।

10. पटेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों का एवं पटे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड के एवं उस पर बने हुये भवन, यदि कोई हो सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की, राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

नोट:- इस भूखण्ड की नियमन राशि 5420 = 00 रूपये प्रति वर्गांज की पंजीकृत मूल्य राशि रु. 5671 = 00 होती है। अत एव स्टाम्प नं. 3213 संख्या

| | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------|
| कस्बे का नाम लालसोट विस्तृत नाम क्षेत्रफल सहित | पूर्व 271Fc पश्चिम 271Fo भूखण्ड संख्या..... सीमा उत्तर 18Fc दक्षिण 18Fo ..योजना का नाम..... समिति का नाम झालासीपुर ५५२ कर्गिया | पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण | स्थल मानचित्र संलग्न है। |
|---|--|---------------------------|--------------------------|

निति प्राची भारत बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने - अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से

आज सन् 2007 ५२९३ के दा वें दिन
 भीमती.झाला देवी शाला श्री नमल सिंह यात्रि सक्षम
 अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका लालसोट
 ने निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

भीमती झाला
अध्यक्ष
सचिव
नगरपालिका लालसोट

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका सत्राल सोलो देवी

साक्षी :-

1. नाम श्रीमती भूमती भारत
 पिता/ पति का नाम श्री रघुनाथ यादव
 व्यवसाय लगालसोट नगरपालिका
 निवास स्थान लगालसोट

2. नाम भूमती भारत
 पिता /पति का नाम श्री नंद भोदम्मद
 व्यवसाय लगालसोट नगरपालिका
 निवास स्थान लगालसोट
 आज दिनांक २००७ को
 निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री सतपाल मीना, राजपाल मीना
 खरीददार द्वारा कार्यालय नगरपालिका लालसोट में हस्ताक्षर किये।

साक्षी के हस्ताक्षर

नंद

साक्षी के हस्ताक्षर

भूमती

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. नाम
 पिता /पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान
 साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
 पिता /पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान
 साक्षी के हस्ताक्षर

कायालिय नगरपालिका मण्डल लालसोट (राज.)

भू-आवंटन-पत्र

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (बी) के तहत पुनः आवंटन)

क्रमांक 1333.....

दिनांक 21/2/2007

भूखण्डधारी का नाम सतपाल भीजा राजपाल भीजा
पति / पिता का नाम नील बुज्जी भीजा भीजा
पता लालसोट (सोनन्दा)
भूखण्ड संख्या ४८३२४१ क्षेत्रफल ५४२ वर्ग गज
योजना का नाम उआवासीय
सहकारी समिति / खातेदार का नाम रख्य
वार्ड संख्या

नगरपालिका अधिनियम एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 5 (3) न.वि.वि. 3 / 99 दिनांक 10.7.99 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी को आवासीय उपयोग हेतु नियमित कर नियमन दर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होगी

1. यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।
2. इस भूखण्ड पर नियमानुसार शहरी जमाबन्दी देय होगी जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर / आरक्षित दर का 2.5% / 5.0% प्रति वर्ष प्रति वर्ग गज है शहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार समय- 2 पर बढ़ोतरी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करवाना होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण करते वक्त नियमानुसार सेट बैंक छोड़ने होगे एवं नगरपालिका के बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिये भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवंटन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ समक्ष अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। निर्माण नगरपालिका से भवन के नक्से को नियमानुसार पास करवाकर करवाना होगा।
5. इस आवंटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शिडयुल्ड बैंक / सरकारी ऋणदायी संस्था एच. डी. एफ. सी. अधिकारी नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिये गिरवी रखा जा सकेगा।
6. आवंटी द्वारा सम्बन्धित नियमों, उपनियमों राज्य सरकार / नगरपालिका के समय - समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जायेगी।
7. प्रार्थी के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा रहा है अतः कब्जे सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिये नगरपालिका जिम्मेवार नहीं होगी।
8. आवंटी द्वारा भूखण्डर विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार नगरपालिका से करवाना होगा।
9. यह आवंटन पत्र भूखण्ड के आवासीय प्रयोजनार्थ है निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प. 5 (3) न.वि.वि. / 3 / 99 दिनांक 10.07.1999 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलतां के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
11. भूखण्ड की लीजडीड का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है:-

भूखण्ड की लम्बाई X चौड़ाई

सामने (पूर्व) - २७/८०

पीछे (पश्चिम) २७/८०

साईंज (उत्तर) १८/८०

(दक्षिण) १८/८०

(शस्त्र) ५२/८० गंगापुरशेष

उमोड़ी शर्त
अध्यक्ष

नगरपालिका लालसोट

कनिष्ठ अभियन्ता
कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका लालसोट

अधिकारी अधिकारी
नगरपालिका लालसोट

क्रमांक : / () / / दिनांक

प्रतिलिपि:- लेखा शाखा, नगरपालिका, लालसोट को सूचनार्थ एवं शहरी जमाबन्दी के रजिस्टर तुरन्त तैयार करने हेतु।

अधिकारी अधिकारी
नगरपालिका लालसोट

नवरुद्धा फ्लॉट थ्रोवर्ड सतपाल मीना, राजपाल मीना (अ. ७)
 श्री वृजमीहन जी मीना नि. महारिया बाले, लालसोट
 रम. नं. २८१ बाँके सैनन्दा कसबा लालसोट जि. फौसा
 (रुद्धा) में से $18' \times 271' = 542.0$ व. ग. वास्ते
 श्री रुपानन्दण कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ (S. १३३८)

